

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-30122020-224024
SG-DL-E-30122020-224024

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 2020/पौष 7, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 238
No. 282]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 2020/PAUSHA 7, 1942	[N. C. T. D. No. 238

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020

सं. फा. 10(260)/प्रशा. II/डीएसडब्ल्यू/2018/14127.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समाज कल्याण विभाग से संबंधित चालकों (भारी और हल्के मोटर वाहनों) के पद हेतु भर्ती नियमों के संबंध में समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की दिनांक 29 अक्टूबर, 1986 की अधिसूचना 2 (30)/86-एस. II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की जानी वाली या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में विभिन्न ग्रेड में "सामान्य ग्रेड" ग्रेड-2, ग्रेड-1' में स्टाफ कार चालकों के पदों के भर्ती नियम निम्नानुसार बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **सक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(i) इन नियमों को समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "स्टाफ कार चालक, भर्ती नियमावली, 2020 कहा जायेगा।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यता इत्यादि.**—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता.**—वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या
 - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव.**—इन नियमों में किसी उल्लेख से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)
2.	पदों की संख्या	:	06* (2020) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर 60 प्रतिशत सीधी भर्ती—02 40 प्रतिशत पदोन्नति—04
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "ग" (अराजपत्रित) अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स	:	स्तर—2, 19900—63200 /रुपये
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18—25* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट: (आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी न कि (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिले तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप राज्यों के लिये निर्णायक तिथि उनके लिये निर्धारित अंतिम तिथि के अनुसार होगी)। *यदि सीधी भर्ती 'सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाती है तो आयु-सीमा 18—27 वर्ष होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	अनिवार्य:— (i) लाइसेंससिंग प्राधिकारी द्वारा जारी मोटर कार हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंसधारी, (ii) मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन में छोटी मोटी खराबी को दूर करने की योग्यता होनी चाहिए),

			(iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, (iv) मान्यताप्राप्त संस्थान/बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण । वांछनीय : होमगार्ड/सिविल स्वंय सेवक (वालंटियर) के रूप में तीन वर्ष की सेवा ।
--	--	--	---

			नोट-1: अनुभव संबंधी योग्यता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। नोट-2: यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती हानी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नति:- मोटर कार चलाने के लिए सक्षमता के लिए ड्राइविंग टैस्ट के आधार पर मोटर कार के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंसधारी समाज कल्याण विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1, (18000-56900/-रुपये) में नियमित एम0टी0एस0 (ग्रुप घ) में से।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	वर्ग "ग" पदोन्नति पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति, (i) निदेशक (समाज कल्याण विभाग) - अध्यक्ष (ii) विशेष निदेशक (प्रशासन), समाज कल्याण विभाग- सदस्य (iii) उप-निदेशक (प्रशासन), समाज कल्याण विभाग- सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है	:	लागू नहीं

अनुसूची

1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II)
2.	पदों की संख्या	:	06* (2020) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर 75 प्रतिशत सीधी भर्ती-04 25 प्रतिशत पदोन्नति-02
3.	वर्गीकरण	:	ग्रुप "ग" अराजपत्रित अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर-4, (25500-81100/रुपये तक)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं

7.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नति:— मोटर कार चलाने के लिए सक्षमता के लिए ड्राइविंग टैस्ट के आधार पर मोटर कार के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंसधारी समाज कल्याण विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1, (18000-56900/-रुपये) में नियमित एम0टी0एस0 (ग्रुप घ) में से।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	वर्ग "ग" पदोन्नति पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति, (i) निदेशक (समाज कल्याण विभाग) —अध्यक्ष (ii) विशेष निदेशक (प्रशासन), समाज कल्याण विभाग —सदस्य (iii) उप-निदेशक (प्रशासन), समाज कल्याण विभाग —सदस्य (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का अधिकार —सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है	:	लागू नहीं

1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I)
2.	पदों की संख्या	:	07* (2020) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर 75 प्रतिशत सीधे भर्ती-03 25 प्रतिशत पदोन्नति-04
3.	वर्गीकरण	:	ग्रुप "ग" अराजपत्रित अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5, (29200-92300 / रुपये तक)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं

10	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नति:— ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में, 25,000-81,100/- रुपये में स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II) अथवा स्टाफ कार चालक ग्रेड-II तथा स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) के रूप में पन्द्रह वर्ष की संयुक्त सेवा सहित तथा सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	वर्ग "ग" पदोन्नति पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति, (i) निदेशक (समाज कल्याण विभाग) —अध्यक्ष (ii) विशेष निदेशक (प्रशासन), समाज कल्याण विभाग —सदस्य (iii) उप-निदेशक (प्रशासन), समाज कल्याण विभाग —सदस्य (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का अधिकार —सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
सरोज रावत, उप-निदेशक (प्रशासन)

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 28th December, 2020

No. F. 10(260)/Admn.II/DSW/2018/14127.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no.G.S.R.840 dated, the 13th July, 1959, and in supersession of the Government of National Capital Territory of Delhi, Department of Social Welfare's Notification no. F.2(30)/86-S-II. dated 29 th October 1986, regarding recruitment rules for the post of Drivers (Heavy and Light Motor Vehicles) in so far as relate to the Department of Social Welfare except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make recruitment rules for the posts of Staff Car Drivers in different grade in Ordinary Grade, Grade-II, Grade-I, in the Department of Social Welfare, Government of National Capital Territory of Delhi, as following namely:

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Department of Social Welfare, Government of National Capital Territory of Delhi Staff Car Drivers Recruitment Rules, 2020,

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.**—the method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary of expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

(Name of the Post)	(Number of Posts)	(Classification)	(Level in the Pay Matrix)	(Whether selection post or non-selection)	(Age Limit for Direct Recruits)	(Educational and other qualification for direct recruits)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Staff Car Driver (Ordinary Grade)	06* (2020) *Subject to variation dependent on work load. 60% Direct=02 40%Promotion=04	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted), Non-Ministerial.	Level-2 (Rs-19900-63200)	Not applicable	18-25 years* (Relaxable for Government Servant's upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahul Spiti District and pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadeep. *If direct recruitment is to be made by 'direct open	Essential: (i) Possession of a valid driving license for Motor Car issued by the Licensing Authority (ii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicle) (iii) Experience for driving Motor Car for at least Three years; and iv) Pass in 10 th standard from the recognised Institution/ Board. Desirable: Three years service as Home Guard/ Civil Volunteers. Note 1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority. Note 2: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled

					competitive Examination, the age limit would be 18-27 years	Tribes is at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	---	---

(Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of Promotion)	(Period of Probation, if any)	(Method of recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/ absorption and percentage of vacancy to be filled by various methods)	In case of promotion. Deputation/ Absorption grades from which promotion/ Deputation/ Absorption to be made.)	(If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition)	(Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits.	By Promotion failing which by direct recruitment.	Promotion: From amongst the regular MTS (erstwhile Group-D) employees in Level-1 (Rs.18000-56900) of the Pay Matrix) in of Department of Social Welfare who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars.	Group-‘C’ DPC (for considering promotion) consisting of 1. Director (SW) Chairperson 2. Special Director (Admn.), DSW Member 3. Deputy Director (Admn.), DSW Member	Not applicable.

SCHEDULE

(Name of the Post)	(Number of Posts)	(Classification)	(Level in the Pay Matrix)	(Whether selection post or non-selection)	(Age Limit for Direct Recruits)	(Educational and other qualification for direct recruits)	(Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of Promotion)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Staff Car Driver (Grade-II)	06* (2020) *Subject to variation dependent on workload 75% Direct=04 25% Promotion=02	General Central Service Group ‘C’ (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Level-4 (Rs.25500-81100)	Non Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(Period of Probation, if any)	(Method of recruitment: whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/ absorption and percentage of vacancy to be filled by various methods)	In case of promotion. Deputation/ Absorption grades from which promotion/ Deputation/ Absorption to be made.)	(If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition)	(Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment)
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	By Promotion	Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Level-2 (Rs19900-63200) in the pay matrix with nine years experience of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government	Group-‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of 1. Director (SW) Chairperson 2. Deputy Commissioner (Transport) Transport Department Member 3. Deputy Director (Admn.) DSW Member	Not applicable

SCHEDULE

(Name of the Post)	(Number of Posts)	(Classification)	(Level in the Pay Matrix)	(Whether selection post or non-selection)	(Age Limit for Direct Recruits)	(Educational and other qualification for direct recruits)	(Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of Promotion)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Staff Car Driver (Grade-I)	07* (2020) *Subject to variation dependent on workload 25% Promotion=03 75% Direct=04	General Central Service Group ‘C’ (Non-Gazetted), Non-Ministerial.	Level-5 (Rs.29200-92300)	Non Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(Period of Probation, if any)	(Method of recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/ absorption and percentage of vacancy to be filled by various methods)	In case of promotion. Deputation/ Absorption grades from which promotion/ Deputation/ Absorption to be made.)	(If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition)	(Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment)
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	By Promotion	Promotion: Staff Car Driver (Grade-II) in Level-4	Group-‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering	Not applicable

		(Rs.25500-81100) (in the pay matrix) with six years of regular service in the grade or with a combined service of 15 years in Staff Car Driver, Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by the Government.	promotion) 1. Director (SW) —Chairperson 2. Deputy Commissioner (Transport) Transport Department —Member 3. Deputy Director (Admn.) DSW —Member	
--	--	---	---	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor
 of the National Capital Territory of Delhi,
 SAROJ RAWAT, Dy. Director (Admn.)